कार्यालय :— वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चाईबासा ।

E-mail cfchaibasa@gmail.com, P.O. Chaibasa, West Singhbhum

पत्र संख्या— 792

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
सारण्डा वन प्रमण्डल, चाईबासा ।

Online

चाईबासा, दिनांक — 25/4/17 /

विषयः— गुवा Link Road (MDR 187) बरायबुरू गेट (हाथी चौक) से Welcome Gate तक वन क्षेत्र वाले पथ का चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं पुनर्निमाण कार्य के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 2,356 हे0 वनभूमि का अपयोजन प्रस्ताव (online) समर्पित करने के सम्बन्ध में ।

प्रसंगः— क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम, जमशेदपुर का पत्रांक— 1033 दिनांक— 22.04.2017 ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भ मे क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम, जमशेदपुर का प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति अत्रसह संलग्न भेजते हुए सूचित करना है कि विषयगत् पथ के चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं पुनर्निमाण कार्य हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 2,356 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव एवं उससे संबंधित संचिका अनुमोदन हेतु क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम, जमशेदपुर को भेजा गया था ।

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम, जमशेदपुर के प्रासंगिक पत्र द्वारा विषयोक्त प्रस्ताव के जाँच के कम में कुल तीन (03) बिन्दुओं पर पाई गई त्रुटियों का निराकरण हेतु अनुरोध किया गया है । आग्रह है कि उल्लेखित त्रुटियों का बिन्दुवार निराकरण कर प्रतिवेदन यथाशीघ उपलब्ध कराया जाय ताकि अग्रतर कार्रवाई किया जा सके ।

अनु0— यथोक्त ।

आपका विश्वासी,

25/04/17

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, चाईबासा ।

कार्यालय : क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम, जमशेदपुर।
(वन भवन, सी0एच0 एरिया, (नॉर्थ–वेस्ट),साई मन्दिर के पास, पो0–सोनारी, जमशेदपुर–831011)
दूरभाष संख्या– 0657–2222995, फैक्स–0657–2220153, ई–मेल– rccf.jsr@gmail.com

जहाँ है हरियाली । वहाँ है खुशहाली ।।

पत्रांक 1033/ जमशेदपुर –11, दिनांक 22-4-17

1080 25/4/17

सेवा में,

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, चाईबासा ।

विषय :– गुआ Link Road (MDR 187) बरायबुरू गेट (हाथी चौक) से Welcome Gate तक वन क्षेत्र वाले पथ का चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं पुनर्निमाण कार्य के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम,1980 के तहत 2.356 हे0 वनभूमि का अपयोजन प्रस्ताव (online) समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग :– वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चाईबासा का पत्रांक 727 दिनांक 17.4.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके प्रसंगाधीन पत्र द्वारा गुआ Link Road (MDR 187) बरायबुरू गेट (हाथी चौक) से Welcome Gate तक वन क्षेत्र वाले पथ का चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं पुनर्निमाण कार्य के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम,1980 के तहत 2.356 हे0 वनभूमि का अपयोजन से संबंधित प्रस्ताव एवं उससे संबंधित संचिका अधोहस्ताक्षरी के अनुमोदन हेतु इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है ।

प्रसंगाधीन पत्र द्वारा प्राप्त विषयोक्त प्रस्ताव के जाँच के क्रम में निम्न कमियाँ / त्रुटियाँ पाई गई है :–

1. वन प्रमंडल पदाधिकारी, सारण्डा वन प्रमंडल द्वारा Part – II के क्रम संख्या – 8 (ii) में No अंकित किया गया है, जबकि उक्त परियोजना Elephant Corridor के अन्तर्गत है ।
2. Part – II के क्रम संख्या – 8 (v) में No अंकित किया गया है, जबकि Part – II के क्रम संख्या – 8 (i) में अंकित सूचनानुसार उक्त क्षेत्र में Rare/endangered species प्रतिवेदित है ।
3. प्रस्ताव से प्रभावित होनेवाले क्षेत्र के समुचित संरक्षण / प्रबन्धन करने तथा संभावित मानव–वन्य प्राणी द्वन्द्व से निपटने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण के लागत खर्च पर एक समग्र वन्य प्राणी प्रबन्धन योजना का कियान्वयन किया जाना प्रस्तावित होना चाहिए । परन्तु इस संबंध में आपके द्वारा कोई प्रस्ताव/मंतब्य नही दिया गया है

अतः आपके प्रसंगाधीन पत्र के साथ प्राप्त प्रस्ताव एवं उससे संबंधित मूल संचिका लौटाते हुए अनुरोध है कि उपरोक्त त्रुटियों / कमियों का यथाशीघ्र निराकरण कर पुनः प्रस्ताव एवं उससे संबंधित मूल संचिका अनुमोदन हेतु इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए, ताकि अनुमोदन की कार्रवाई की जा सके ।

अनु0:– यथोक्त ।

विश्वासभाजन,
22/4/17

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम,
जमशेदपुर
22/4/17